



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,

Phone/Fax: 0135 2767611



पत्रांक: 2485/ 12-1:दिनांक देहरादून, 01/06/ मई, 2024,

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड,
देहरादून।

विषय:-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी के (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 0.500) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.252 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/145560/2021)

सन्दर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पत्रांक-8बी०द / यू०सी०पी० / 06 / 63 / 2022 / एफ०सी० / 1465(a) दिनांक- 19.02.2024,।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पत्रांक-8बी०द / यू०सी०पी० / 06 / 63 / 2022 / एफ०सी० / 1440, दिनांक- 19.02.2024,। के द्वार प्रश्नगत प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी। जिसकी सूचना वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है सूचना निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तें	बिन्दुवार अनुपालन सूचना
क	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 504 पौधों का रोपण कार्य जाएगा एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि / C.A rate for 0.504 ha Area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु सं०-1 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। चालान की प्रति संलग्न है। संलग्न-1
ख	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डबल०एल०एस०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु सं०-1(ख) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। संलग्न-2
2	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ds WP (C)।a।;k 202/1995 esa IAUecj 556 दिनांक 30. 10.2002 , 01.08.2003, 5-2/2006-एफ०सी० (Pt.2) दिनांक-18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03. 10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.8675 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु सं०-2(क) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। एवं एन०पी०वी० की धनराशि कैम्पा कोश में जमा कर दी गई है, चालान की प्रति संलग्न है। संलग्न-3
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु सं०-2(ख) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। 'बचनबद्धता प्रमाण पत्र' संलग्न है। संलग्न-4

	शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	
3	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा। जोकि प्रस्ताव के अनुसार 24 वृक्षों से अधिक नहीं होगी। एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि विन्दु सं०-3 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-5
4	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर वन/सिविल सोयम भूमि को चरण-II मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि विन्दु सं०-4 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-6
5	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर-वन/सिविल भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जायेगा। उक्त अधिसूचना चरण-II/अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि विन्दु सं०-5 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-7
6	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा। इस संवध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-8
7	गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-9
8	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देंगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-10
9	यदि राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में चरण-II के अनुमोदन से पूर्व कार्य अनुमति जारी करता है तो उक्त अनुमोदन की प्रति अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
10	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। है। एफ0आर0ए0 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्न-11)
11	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-12
12	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग

		द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
1	वन भूमि की विविध परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-13
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-14
3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-15
4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-16
5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-17
6	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
8	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोक्तृ अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-18
9	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-19
10	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर श्रमिक शिवीर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन

		किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-20
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-21
12	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearing अंकित हो।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-22
13	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनों ओर Central Verge पर Strip Plantation करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-23
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सडक के किनारे स्पीड रैग्युलेंटिंग साइनेज बनाया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-24
15	प्रयोक्ता अभिकरण जहां भी लागू हों, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर एवं ओवर पास प्रदान करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-25
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-26
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-27
18	केन्द्र सरकार की पूर्णानुमति के बिना प्रत्यावर्तन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-28
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-29
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट सीलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-30

	कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-31
22	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-32
23	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं एफ0सी0ए0 नियम 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-33

अतः प्रश्नगत प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन कोटद्वार, के द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार :-

संख्या : 2485/12-1, तद्दिनांकित।

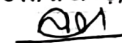
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई-सिंचाई खण्ड कोटद्वार (गढ़वाल)

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)

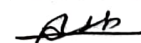
प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।





(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।





कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

Tel/Fax No. 01382.228467

E-mail: dfo_lansdowne@yahoo.co.in

पत्रांक:- 4089 / 12-1 , दिनांक, कोटद्वार,

13/05/

सेवा में

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी के (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 0.500) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.252 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/145560/2021)

संदर्भ:-

अधिशारी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड कोटद्वार का पत्रांक 242/वन भूमि दिनांक 23.03.2024 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी०यू०सी०बी०/06/63/2022/एफ०सी०/1104 दिनांक 19.02.2024. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून का पत्रांक 1885/12-1 दिनांक 29.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी के (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 0.500) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.252 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत सैधान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा विन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्न सहित कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। जो 02 प्रतियों में मूल प्रति सहित आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क०
सं०

सैधान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें

विन्दुवार अनुपालन आख्या

प्रतिपूरक वनीकरण:

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 504 पौधों का रोपण कार्य जाएगा एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ C.A rate for 0.504 ha Area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल एकल प्लांटेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।

चालान संलग्न है। संलग्न-1

ख

प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डबल०एल०एस०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

शर्त का अनुपालन किया जाएगा। संलग्न-2

ग

शुद्ध वर्तमान मूल्य

इस सम्बन्ध में भारत के मानवीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में 18 नवंबर 556 दिनांक 30.10.2002 ; 01.08.2003, 5-2 /2006-एफ०सी० (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशाविदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.8675 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है एवं एन०पी०वी० की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है, चालान संलग्न है। संलग्न-3

घ

विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मानवीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूल जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

'वचनबद्धता प्रमाण पत्र' संलग्न है। संलग्न-4

3

प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को ब्यूनालग रखेगा एवं जोकि प्रस्ताव के अनुसार 24 वर्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के राखा पर्यवेक्षण में कटेगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-5

उ.नि.सा. प्रभागीय वनाधिकारी

डा. मा. मौरा

35/05/2024

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर, देहरादून

पंजी० संख्या 12/24

तारीख 13/05/2024

1	राज्य वन विभाग द्वारा वन के लिए पहचानी गई गैर वन/रिजर्वलैंड भूमि को चरण-11 के तहत जमीन कब्जा से पहले राज्य वन विभाग के पास में स्वातंत्र्य और परिवर्तित किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-6
2	राज्य वन विभाग के पास में हस्तांतरित एवं वापस/रिजर्वलैंड भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्वाधीन वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा 1(1) के तहत आश्रित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जायेगा। उक्त अधिसूचना चरण-11 अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-7
3	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलदा विस्तारण नहीं किया जाएगा। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वन प्रदाता करेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-8
4	मंडल/डिस्ट में दिए गए डिमांडों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व दृष्टि के कठन अद्य कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित फंड के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-9
5	राज्य वन विभाग रेडिक (लिवियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-11 का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-10
6	यदि राज्य वन विभाग रेडिक (लिवियर) परियोजना के मामले में चरण-11 के अनुमोदन से पूर्व कार्य अनुमति जारी करता है तो उक्त अनुमोदन की प्रति अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
7	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्न-11)
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त घन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में सीमांतरीत जमा किए जाएंगे।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-12
9	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
10	वन भूमि की विविध परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-13
11	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-14
12	प्रतिपूर्क वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूर्क वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूर्क वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और संरक्षण की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूर्क वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-15
13	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-16
14	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-17
15	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी प्रत्येक कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति प्रत्येक कम से कम 0.7 होना चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
16	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को दिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदले।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
17	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-18
18	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लैं-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-19
19	वन भूमि एवं आस-पड़ोस की भूमि पर क्रमिक शिद्वीर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-20

11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गजदूरी को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-21
12	सम्बन्धित वन गण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिरा पर Forward/Backward Bearings अंकित हो।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-22
13	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 गावदण्डों के अनुसार राहक के दोनों ओर Central Verge पर Strip Plantation करेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-23
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर राहक के किनारे स्पीड रेग्युलैटिंग साइनेज लगाया जायेगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-24
15	प्रयोक्ता अभिकरण जहां भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त आंदर एवं ओवर पारा प्रदान करेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-25
16	परियोजना कार्य के विस्थापन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-26
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन नहीं किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है।
18	केन्द्र सरकार की पूर्णानुमति के बिना प्रत्यावर्तन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-27
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-28
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट सीलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-29
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-30
22	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-31
23	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं एफ0सी0ए0 नियम 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाई की जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-32

अतः महोदय उपरोक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्रदान करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्डाउन वन विभाग, कोटद्वार।

पत्रांक-4089 / 12-1 दिनांकित।

—प्रतिलिपि— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं बोर्डल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फोरस्ट कॉलोनी, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि— अधिशारी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0आई0 रिचाई ब्लॉक कोटद्वार को उपरोक्तानुसार सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्डाउन वन विभाग, कोटद्वार।



कार्यालय

अधिशाली अभियन्ता,

पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड

कोटद्वार (गडवाल)

☎ 144-01323-2223579

☎ 144-01323-2223579

Email: compys@kotdwaraofficialmail.com

पत्रांक २५२/वनभूमि

दि० २३/०३/२०२४

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी

लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार

कोटद्वार

विषय :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी के (फि०मी० ०.०० से फि०मी० ०.५००) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.२५२ हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यवर्तन। प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/145560/2021)

सन्दर्भ :-

आपके कार्यालय के पत्रांक ३२००/१२-१ दिनोंक कोटद्वार ०४.०३.२०२४ एवं भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय २५ सुभाष रोड, देहरादून के पत्रोंक ८बी/यू०सी०पी०/०६/६३/२०२२/एफ०सी० दिनोंक १९.०२.२०२४।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृत में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	अधिरोपित शर्त	अनुपालन
१. प्रतिपूरक वनीकरण।		
(क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये ५०४ पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 0.504 ha area (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	दिनोंक १५.०३.२०२४ को ई-पोर्टल (https://parivesh-nlc-in) के माध्यम से जमा करवा दी गयी है। (संलग्न-१)
(ख)	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डबलू०एल०एस०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर ई-ग्रीन बॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	मान्य है।
२. शुद्ध वर्तमान मूल्य।		
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या २०२/१९९५ में १५ नम्बर ५५६ दिनांक ३०.१०.२००२, ०१.०८.२००३, २८.०३.२००८, २४.०४.२००८ एवं ०९.०५.२००८ तथा मंत्रालय द्वारा पत्रोंक ५-१/१९९८-एफ.सी. (Pt.2) दिनोंक १८.०९.२००३, ५-२/२००६-एफ०सी० दिनांक ०३.१०.२००६ एवं ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम-२०२३ में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत ०.२५२ हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेंगी।	दिनोंक १५.०३.२०२४ को ई-पोर्टल (https://parivesh-nlc-in) के माध्यम से जमा करवा दी गयी है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रमाण पत्र (संलग्न-२)
३	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं जोकि प्रस्ताव के अनुसार २४ वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	मान्य है।
४	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर-वन/सिविल सोयम भूमि को चरण-११ मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।	मान्य है।
५	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर-वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम १९२७ के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, १९२७ की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण-११/अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	मान्य है।
६	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलया निस्तारण नहीं किया जाएगा इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	प्रमाण पत्र (संलग्न-३)
७	गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा ११.२ के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	मान्य है।

	वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर देता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-11 का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	मान्य है।
	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में चरण-11 के अनुमोदन से पूर्व कार्य अनुमति जारी करता है तो उक्त अनुमोदन की प्रति अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	मान्य है।
10	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	मान्य है।
11	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	मान्य है।
12	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	मान्य है।
(ख) 1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
(ख) 2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	मान्य है।
(ख) 3	प्रतिपूर्क वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूर्क वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूर्क वनीकरण की भूमि की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूर्क विकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	मान्य है।
(ख) 4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	मान्य है।
(ख) 5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्तें, जहाँ भी लागू हों, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	मान्य है।
(ख) 6	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	मान्य है।
(ख) 7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	मान्य है।
(ख) 8	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	मान्य है।
(ख) 9	केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	मान्य है।
(ख) 10	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर श्रमिक शिवीर स्थापित नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
(ख) 11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्या्रीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	मान्य है।
(ख) 12	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हो।	मान्य है।
(ख) 13	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर Central Verge पर Strip plantation करेगी।	प्रमाण पत्र (संलग्न-4)
(ख) 14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेंटिंग साइनेज बनाया जाएगा।	मान्य है।
(ख) 15	प्रयोक्ता अभिकरण जहाँ भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगी।	मान्य है।
(ख) 16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	मान्य है।
(ख) 17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन नहीं किया जाएगा।	मान्य है।

	सरकार की पूर्णानुमति के बिना प्रत्यावर्तन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी एजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	मान्य है।
	परिवर्ण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	मान्य है।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मान्य है।
21	(ख) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	मान्य है।
22	(ख) प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से सम्बन्धित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा निर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हों।	मान्य है।
23	(ख) उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं एफ0सी0ए0 नियम 2023 के अंतर्गत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी।	मान्य है।

संलग्न-उपरोक्त

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)
दि0.....

पत्राक/ वनभूमि

निम्नलिखित को अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-1. अपर प्रमुख वनसंरक्षण एवं नोडल अधिकारी वनसंरक्षण इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालोनी।

प्रतिलिपि:-2. जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।

प्रतिलिपि:- 3. अधीक्षण अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त लो0नि0वि0 श्रीनगर गढ़वाल।

प्रतिलिपि:- 4. सहायक अभियन्ता षष्ठम पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड कोटद्वार।

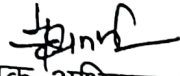
अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

26/3/24
D/MAN
310 210 210
4000
C.A.O.

दिनांक 26/03/2024
पृष्ठ संख्या 4/26
पृष्ठ संख्या 12-1

बचनवद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.252 है० सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण में एन०पी०वी० के शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर जमा की जायेगी।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

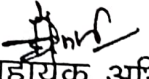

अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

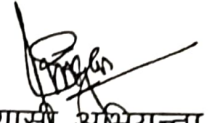
प्रमाण पत्र मूल में अंग्रेजित

प्रभागीय वनाधिकारी
लेन्सडोन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं जोकि प्रस्ताव के अनुसार 24 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

● प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर-वन/सिविल सोयम भूमि को चरण-॥ मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।

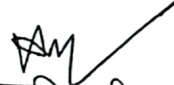


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)



अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित



प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

सेल 7

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तातरित एवं नामांतरित गैर-वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण-11/अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित


प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

बचनवद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र मूल में उपस्थित


प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडोन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।



सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)



अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित



प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहल चरण-11 का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र शुल्क में अंग्रेजित


प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडीन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहल चरण-११ का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

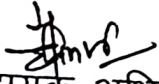

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र हल में अंग्रेजित


प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

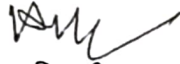
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।



सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र मूल में अंग्रेजित



प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)



अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

4/11/24 193

https://forestclearance.nic.in/useraccount/PaymentHistory.aspx

**PARIVESH**
परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single Window Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India



My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾

4:55:44 PM

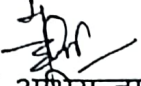
Online payment history made by User Agency under CANPA

S.No.	Proposal Details	Application No	Application No (New)	Date of Int-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Details	Demand Letter
1	FD/UX/PO/2/14550/2021	PO/2/14550/2021/451	5114550451	19 Feb 2024	CA: 22619066/- P/O: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 2257982/- Other Charges: 0/- Other Charges: 0/- Other Charges: 0/- Total: 551988.86/-	PAID	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	: 12 Mar 2024 : Union Bank Of India : NEST/RTGS (Challan) : 12 Mar 2024 : 15 Mar 2024

प्रमाण पत्र

सेल 11 : 12

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic.in>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितध जमा किए जाएंगे।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित


प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र शुल्क में अग्रलिखित


प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

सेल नं 14

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

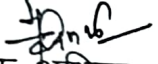

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

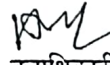

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

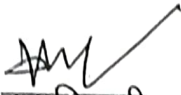
प्रमाण पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

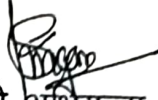
प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित


प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

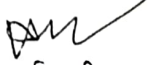
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वाराखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहाँ भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

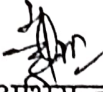
प्रमाणपत्र गुप्त में प्रेषित


प्रमार्गाय वनाधिकारी
लैन्सडीन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

सैल 18

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

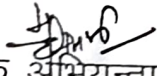
प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित


प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

रूल 51 :- 19

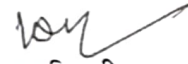
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र चलाने अग्रे निम्न


प्रभारगव वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर श्रमिक शिवीर स्थापित नहीं किया जाएगा।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

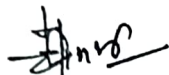

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र छल में अग्रोसिन


प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडोन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।



सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)



अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र मूल में अट्रेलिया



प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित होगा।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित


प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

बचनवद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.252 है० सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ जहाँ सम्भव होगा के दोनो किनारो तथा Central Verge पर Strip Plantation की जायेगी।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र मूल में अंग्रेजित


प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

~~प्रमाण पत्र मूल में अंग्रेज़ी~~


प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयोक्ता अभिकरण जहाँ भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगी।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र मूल में अंग्रेजित


प्रभारित वनाधिकारी
लैन्ड्री वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।



सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)



अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

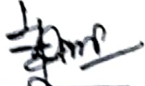
प्रमाण पत्र हल में अग्रे लिख



प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदिष्टी प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन नहीं किया जाएगा।



सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)



अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र मूल में अंग्रेज़ी में



प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

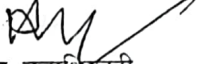
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में केन्द्र सरकार की पूर्णानुमति के बिना प्रत्यावर्तन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र प्रत्येक अंग्रेजी में


प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पोर्टल (<https://parivesh-nic-in>) पर अपलोड की जाएगी।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित


प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

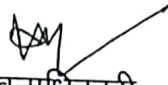
सेकन 28

● प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

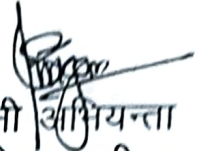

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी लेना/कर/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।



सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)



अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित



प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण पत्र

सीलन :- 32

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं एफ0सी0ए0 नियम 2023 के अंतर्गत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी।


सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)


अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित


प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)